

प्रेषक,

अभिषेक सिंह-11,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2018

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत धान क्रय हेतु 30,000 गांठ जूट बोरो के क्रय के लिये अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2920/अ०आ०(वि०)/879-बोरा-ख०वि०व०/2018-19, दिनांक 28 मई, 2018 के क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में जूट कमिश्नर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से 1,61,000.00 मात्र गांठ जूट बोरो को नियमानुसार क्रय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-646/29-5-2018-30(1)/2015 दिनांक 13 जून, 2018 द्वारा प्रदान की जा चुकी है। उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष श्री राज्यपाल महोदय माह जुलाई, 2018 में 30000.00 (तीस हजार) मात्र गांठ जूट बोरो के नियमानुसार क्रय किये जाने के प्रयोजनार्थ जूट कमिश्नर, कोलकाता को भुगतान करने के लिये परिवहन व्यय सहित रू० 24,348.65 प्रति गांठ निर्धारित दर से धनराशि रू० 73,04,59,500.00 (रू० तिहत्तर करोड़ चार लाख उनसठ हजार पाँच सौ मात्र) के अग्रिम आहरण की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उपरोक्तांकित अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25 अक्टूबर, 1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10 जून, 2011 एवं संख्या-12/2017/ए-1-873/दस -2017-15/1(1)/69 दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- (2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।
- (3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा। इण्डेन्ट आदि की कार्यवाही आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृतसमस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य करा लिया जाय तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए। पूर्व के अवसर/अवसरों पर आहरित अग्रिम का नियमानुसार समायोजन, गांठ बोरो की आपूर्ति/भण्डारण/उपयोग की सुदृढ़ व्यवस्था तथा जिन मामलों में आंतरिक सम्प्रेक्षा द्वारा अनियमितताएं पाई गयी है उनमें नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण की जाये व शासकीय क्षति की प्रतिपूर्ति भी कराते हुए रिपोर्ट शासन को उक्त निर्धारित सीमा तक अवश्यक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (5) वित्त नियंत्रक द्वारा आंतरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग के अवलोकनार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
- (6) आवश्यकतानुसार बोरो की संख्या एवं दरों का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार समुचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुये शासन को भी अवगत कराया जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक -4408 खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101 अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43 सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-594/दस-2018, दिनांक 03-07-2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक सिंह-11)
विशेष सचिव।

संख्या-12/2018/825(1)/29-5-2018-30-(1)/15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्त मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली।
- 2- महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 4- जूट आयुक्त, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स तृतीय एम०एस०ओ० भवन सेक्टर-1 साल्टलेक सिटी कोलकाता।
- 5- अपर आयुक्त, (विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।